

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी : - श्योराम वर्मा आर. ए. एस.

न. मु. 2/2020

- स्व. मालाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी बीदासर
- 1 1/1 चौथी देवी पत्नी स्व. मालाराम जाति जाट निवासी बीदासर
- 2 1/2 भंवराराम
- 3 1/3 चूनाराम
- 4 1/4 अमराराम
- 5 1/5 पुनी देवी
- 6 1/6 भगवानीदेवी
- 7 1/7 नारायणीदेवी
- 8 1/8 नोरतीदेवी

पुत्रान पुत्रीयों स्व. मालाराम
जाति जाट निवासी बीदासर

- स्व. रामूराम पुत्र मालाराम जाट
- 9 2/1 लिछमादेवी पत्नी स्व. रामूराम जाति जाट निवासी बीदासर
- 10 2/2 मानाराम
- 11 2/3 सुरजाराम
- 12 2/5 समेरीदेवी
- 13 2/6 लादुदेवी
- 14 2/7 चुका
- 15 2/8 पप्पुदेवी
- 16 2/9 कमलादेवी
- 17 2/10 मैनादेवी

पुत्रान पुत्रीयां स्व. रामूराम
जाति जाट निवासी बीदासर

- 18 2/4 पन्नाराम पुत्र रामूराम जाट निवासी बीदासर
- 19 3/1 भंवरी देवी पुत्री स्व.कमा देवी जाति जाट निवासी बीदासर
- 20 3/2 श्रवणराम पुत्र कमलादेवी जाति जाट निवासी बीदासर
- 21 3/3 दीपाराम पुत्र कमलादेवी जाति जाट निवासी बीदासर
- 22 3/4 मंजू पुत्री कमलादेवी जाति जाट निवासी बीदासर
- 23 3/5 पुष्पा पुत्री कमला देवी जाति जाट निवासी बीदासर
- 24 3/6 मूलाराम पुत्र कमलादेवी जाति जाट निवासी बीदासर
- 25 3/7 गणपतराम पुत्र कमलादेवी जाति जाट निवासी बीदासर
- 26 3/8 रामाकिशन पुत्र कमलादेवी जाति जाट निवासी बीदासर
- 27 3/9 पप्पुराम पुत्र कमलादेवी जाति जाट निवासी बीदासर
- 28 3/10 संतोष पुत्री कमला देवी जाति जाट निवासी बीदासर
- 29 4/1 तीजू देवी पत्नी शिवदान जाति जाट निवासी बीदासर
- 30 4/2 सावित्री पुत्री शिवदान जाति जाट निवासी बीदासर

डिकीदारान्

गौण डिकीदारान्

बनाम

- स्व. मुलाराम पुत्र हुलासाराम जाति नाई निवासी बीदासर
- 1/1 सीताराम पुत्र स्व. मुलाराम जाति नाई निवासी बीदासर
- 1/2 औमप्रकाश पुत्र स्व. मुलाराम जाति नाई निवासी बीदासर
- 1/3 राजकुमार पुत्र स्व. मुलाराम जाति नाई निवासी बीदासर
- 1/4 कैलाशचन्द पुत्र स्व. मुलाराम जाति नाई निवासी बीदासर
- 1/5 मंजूदेवी पुत्री स्व. मुलाराम जाति नाई निवासी बीदासर
- 1/6 संजूदेवी पुत्री स्व. मुलाराम जाति नाई निवासी गण बीदासर



उपखण्ड अधिकारी
बीदासर



इजराय

उपस्थित :-

डिकीदारान् - मोहम्मद शाहिद एडवोकेट

आदेश

दिनांक :- 01/01/2021

डिकीदारान् ने इजराय न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर सुजानगढ़ (चूरु) द्वारा मुकदमा नम्बर 28/89 अनुवानी मुलाराम बनाम मालाराम निर्णय एवं डिकी दिनांक 23/3/1991 की पालना हेतु आवेदन पत्र दिनांक 16/09/2020 को जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत की है। मद्युमान को नोटिस जारी किये गये। मद्युमान बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आये। मद्युमान को पूर्ण अवसर देने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आकर जवाब इजराय प्रार्थना पत्र नहीं देने के कारण मद्युमान के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। डिकीदारान् ने प्रार्थना पत्र वास्ते लिपिकीय त्रुटी दुरुस्त करने का प्रस्तुत किया। जिसे स्वीकार कर शामिल पत्रावली किया।

प्रकरण में प्रस्तुत न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर सुजानगढ़ (चूरु) की पत्रावली नम्बर मुकदमा 28/89 अनुवानी मुलाराम बनाम मालाराम निर्णय एवं डिकी दिनांक 23/3/1991 के आदेश " उपरोक्त वाद बिन्दुओं के निष्कर्ष एवं निर्णय के अनुसार वादी मूलाराम का वाद सख्या 28/89 अनुवानी मूलाराम बनाम मालाराम आदि प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। वादी मालाराम का वाद सख्या 134/78 अनुवानी मालाराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य डिकी कर घोषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1046/1 तादादी 38 बीघा 5 बिश्वा भूमि का वादी मालाराम पुत्र जेठाराम खातेदार कृषक है। प्रतिवादी मूलाराम के नाम से वर्तमान रेकार्ड में जो खातेदारी दर्ज है वह गलत एवं अवैध है। रेकार्ड दुरुस्त कर ख.न. 1046/1 की खातेदारी वादी मालाराम की दर्ज की जावे। पर्चा डिकी तैयार कर सामिल किया जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना-2 वहन करें।" का ससम्मान अवलोकन किया। डिकीदारान् के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। डिकीदारान् ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया की डिकीदारान् के पिता/दादा/नाना मु.न. 28/89 के प्रतिवादी स. 1 एवं प्रकरण स. 134/78 का वादी मालाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी बीदासर एक काश्त पैशा अनपढ व्यक्ति थे जिनको न्यायालय के निर्णय एवं डिकी दिनांक 23/3/1991 के आधार पर खातेदारी में नामान्तरकरण दर्ज करवाने की जानकारी नहीं होने के कारण निर्णय एवं डिकी की पालना नहीं करवाई जा सकी तथा विवादित खेत खसरा नम्बर 1046/1 रकबा 38-05 बीघा वाके रोही बीदासर हाल रोही हरिनगर पर कब्जा काश्त पूर्वजों के वक्त से ही डिकीदारान् का होने के कारण राजस्व रेकार्ड का कभी डिकीदारान् ने ज्ञान नहीं किया। हस्तगत निर्णय एवं डिकी दिनांक 23/03/1991 के खिलाफ किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं की गई है।

डिकीदारान् का डिकी निष्पादन का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बीदासर को आदेशित किया जाता है कि रोही बीदासर हाल हरिनगर के खेत खसरा नम्बर 1046/1 रकबा 9.6745 हैक्टेयर (38-05 बीघा) की खातेदारी प्रकरण स. 28/89 अनुवानी मूलाराम बनाम मालाराम के प्रतिवादी स. 1 स्व. मालाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी बीदासर के वारिस डिकीदार श्रीमती चौथी देवी पत्नी स्व. मालाराम हिस्सा 1/10, भंवराराम, चुनाराम, अमराराम, पुनीदेवी, भगवानी देवी, नारायणी देवी, नोरती देवी पुत्रान पुत्रीयों स्व. मालाराम हिस्सा 7/10 हिस्सा ब. हि. बराबर व लिछमा देवी पत्नी रामूराम एवं मानाराम, सुरजाराम, पन्नाराम, समेरी देवी, लादु देवी, चुका, पप्पु, कमला देवी, मैनादेवी पुत्रान पुत्रीयों स्व. रामूराम हिस्सा 10/110 ब.हि. बराबर, तीजू देवी पत्नी शिवदान, सावित्री पुत्री शिवदान हिस्सा 1/110 ब.हि. बराबर तथा भंवरी देवी, श्रवणराम, दीपाराम, मन्जू, पुष्पा, मूलाराम, गणपतराम, रामाकिशन, पप्पुराम, संतोष पुत्रान पुत्रीयों कमलादेवी पुत्री मालाराम हिस्सा 1/10 ब.हि. बराबर जाति जाट निवासी बीदासर खातेदार के नाम दर्ज की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 01/01/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



मोहम्मद शाहिद
अधिवक्ता
बीदासर